

## प्रेस विज्ञप्ति थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर दिनांक 18.09.2022

### नाबालिग से छेड़खानी एवं धमकी देने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सहजनवा मानवेन्द्र पाठक के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के हुकुम तहरीरी के अनुपालन में उ०नि० सुशील सिंह मय हमराहीगण के साथ मुखबीर खास की सूचना पर मु०अ०सं० 307/2022 धारा 354, 504, 506 भा०द०वि० व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)ब एससीएसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त हिमांशु सिंह उर्फ छोटू सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी उसरी थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर उम्र 25 वर्ष को दिनांक 17.09.2022 को गिरफ्तार किया गया। जिसे आज दिनांक 18.09.2022 को जेल भेजा जा रहा है।

#### गिरफ्तार किये गये अभियुक्त:-

हिमांशु सिंह उर्फ छोटू सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी उसरी थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर उम्र 25 वर्ष

#### गिरफ्तारी का अभियोग-

मु०अ०सं० 307/2022 धारा 354, 504, 506 भा०द०वि० व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)ब एससीएसटी एक्ट

#### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० सुशील सिंह थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
2. कां० आशीष प्रजापति थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर